राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

अधिसूचना

जयपुर दिनांक: 12.02.2009

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उप–धारा (1) सपठित धारा 9 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, स्टाम्प शुल्क के लिऐ इसके द्वारा निम्नानुसार विशेष राहत योजना लागू करने का आदेश देती है:–

1. मूल दस्तावेज इम्पाउण्ड होकर कलक्टर (स्टाम्प) के यहाँ इस अधिसूचना की तारीख तक दर्ज मामलों में स्टाम्प शुल्क कम किया जायेगा और रेफरेन्स के अधीन स्टाम्प शुल्क की वसूलनीय रकम का 70 प्रतिशत प्रभार्य होगा, यदि स्टाम्प शुल्क की वसूलनीय रकम और पंजीयन शुल्क दिनांक 28.2.2009 तक जमा करा दिया जाता है अर्थात ऐसे मामलों में वसूलनीय स्टाम्प शुल्क की 30 प्रतिशत रियायत दी जायेगी।

2. पंजीयन के पश्चात् दस्तावेज के लौटा दिये जाने पर सभी प्रकार के निरीक्षण के आधार पर या स्वप्रेरणा सहित कलक्टर (स्टाम्प) के समक्ष इस अधिसूचना की तारीख तक दर्ज मामलों मे दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क कम किया जायेगा और स्टाम्प शुल्क के वसूलनीय अन्तर का 70 प्रतिशत प्रभार्य होगा, यदि स्टाम्प शुल्क कम की गई ऐसी रकम और पंजीयन शुल्क दिनांक 28.2.2009 तक जमा करा दिया जाता है अर्थात ऐसे मामलों में वसूलनीय स्टाम्प शुल्क की 30 प्रतिशत रियायत दी जायेगी।

3. इस अधिसूचना की तारीख तक कलक्टर (स्टाम्प) द्वारा निर्णित मामलों में स्टाम्प शुल्क कम किया जायेगा और निर्णय के अनुसार स्टाम्प शुल्क की वसूलनीय रकम का 70 प्रतिशत प्रभार्य होगा, यदि ऐसा वसूलनीय स्टाम्प शुल्क दिनांक 28.2.2009 तक जमा करा दिया जाता है अर्थात ऐसे मामलों में वसूलनीय स्टाम्प शुल्क की 30 प्रतिशत रियायत दी जायेगी।

4. इस अधिसूचना की तारीख तक कलक्टर (स्टाम्प) द्वारा निर्णित मामलों में अधिरोपित शास्ति का परिहार किया जायेगा, यदि कुल वसूलनीय रकम दिनांक 28.2.2009 तक जमा करा दी जाती है।

5. वसूलनीय स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस और शास्ति पर कोई ब्याज प्रभार्य नहीं होगा, यदि वसूलनीय स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क दिनांक 28.2.2009 तक जमा करा दिया जाता है।

उक्त प्रकार के किसी भी प्रकरण मे पूर्व मे अदा किये जा चुके स्टाम्प शुल्क व अन्य राशि का प्रतिदाय (रिफण्ड) नहीं होगा।

(प.2(11)वित्त/कर/2003–90)
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को आज के असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) मे प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) महोदय, राजस्थान।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर
5. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
9. एसीपी, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव